खास खबरें

मंदिर से चांदी के बर्तन चोरी, अज्ञात पर केस

नप्र, भोपालः शाहपुरा थाना पुलिस ने लक्ष्मण नगर स्थित हनुमान मंदिर से चांदी के गिलास और चम्मच चोरी होने पर धारा 305 डी बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी अदमत दमश्रा की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस कायम किया गया। घटना 29 जुलाई की बताई गई है। पुलिस चोरी गए सामान और आरोपियों की तलाश कर रही है।

पंचशील नगर में कार की टक्कर, चालक पर केस

टीटी नगर थाना पुलिस ने धारा 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी आर्यमान सिंह गौतम की शिकायत पर कार क्रमांक एमपी 04 डब्ल्यूए 6478 के चालक के खिलाफ तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का प्रकरण कायम किया गया है।

महात्मा गांधी चौराहे पर कार चालक पर प्रकरण

पिपलानी थाना पुलिस ने धारा 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी एकराज मोठा की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का केस कायम किया गया है। पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश कर रही है।

मैरिज गार्डन के पास सड़क हादसा

मिसरोद थाना पुलिस ने धारा 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी अमित पाण्डेय की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

लालघाटी में अज्ञात कार चालक पर केस

कोहेफिजा थाना पुलिस ने धारा 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी शाह जफर की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध दुर्घटना करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

12 बोतल शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

पिपलानी थाना पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए नंदू मालवीय पिता सेवाराम (38 वर्ष) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 12 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई।

अवैध चाकू रखने पर मो. यासीन गिरफ्तार

हनुमानगंज थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मो. यासीन पिता मो. रियास (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ। मामले में शासन फरियादी है।

दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

हनुमानगंज थाना पुलिस ने धारा 85 बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं 3/4 के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी यासमीन (34 वर्ष) की शिकायत पर आरोपी निजामउद्दीन अली, खुशीद बी और आलीशा के खिलाफ कार और दो लाख रुपये दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज किया गया है।

विक्रम उद्योगपुरी में स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन स्थित विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास और निवेश परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों में स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल भी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों और बेहतर अधोसंरचना के कारण निवेश को लगातार बढ़ावा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की खाद्य प्रसंस्करण इकाई का भी निरीक्षण किया। करीब 1266 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस इकाई से लगभग 800 प्रत्यक्ष और बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है।

उन्होंने 50.05 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए कहा कि बेहतर आवासीय सुविधाओं से महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन जिले में पिछले ढाई वर्षों में 246 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इनमें करीब 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश और हजारों रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

कोचिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का फायर ब्रिगेड दल ने किया निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम के फायर ब्रिगेड दल ने गुरुवार को शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन के निर्देश पर यह कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई।

फायर अमले ने कोलार रोड, एमपी नगर, दानिशकुंज, कोटरा सुल्तानाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित कोचिंग संस्थानों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में अग्निशमन उपकरण लगाने और अन्य सुरक्षा प्रबंधों का कार्य प्रचलित पाया गया। निगम अधिकारियों ने संबंधित कोचिंग संचालकों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दो दिन में पूरी करने और इससे संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में व्यवस्थाएं पूरी नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग एकेडमी, विभिन्न लाइब्रेरी, नीट कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। निगम ने सभी संस्थानों से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

करारोपण से छूटी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन ने निगम के राजस्व को मजबूत करने और शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए करारोपण से बाहर रह गई संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी नई नस्तियों का संधारण केवल ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाए और सभी कर्मचारियों की आईडी बनवाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

निगम मुख्यालय अटल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त ने समय सीमा प्रकरणों और निगम के विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीजरेंट और किराया सहित सभी राजस्व मदों में प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध कुर्की और तालाबंदी जैसी कार्रवाई करने को कहा।

आयुक्त ने भवन अनुज्ञा से जुड़े मामलों की गहन जांच के बाद ही निर्णय लेने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए स्पॉट फाइन लगाने और बल्क गार्बेज जनरेटर का पंजीकरण कराने पर जोर दिया।

साईं मनीषलाल धार्मिक प्रवास पर आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः झूलेलाल चालीहा महोत्सव में भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज एवं झूलेलाल वरुण देव मंदिर, भरूच के गादीश्वर ठाकुर साईं मनीषलाल साहिब जी तीन दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं, जो 31 जुलाई को संतनगर पहुंचेंगे। अपने प्रवास के दौरान पूज्य साईं मनीषलाल विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे।

पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष भरत आसवानी ने बताया कि 31 जुलाई को सिंधु दर्शन भवन, सोनागिरी (भोपाल) तथा न्यू बी-10 स्थित दादा साबूमल रीझवाणी द्वारा स्थापित झूलेलाल चालीहा साहिब मंदिर में साईं द्वारा अखंड ज्योत की स्थापना एवं भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 1 अगस्त को प्रातः झूलेलाल मंदिर, बावड़िया कला तथा सायं बर्तन बाजार मेन रोड स्थित झूलेलाल कल्याण मंगलम सेवा समिति द्वारा संचालित मंदिर में साईं जी का सान्निध्य प्राप्त होगा।

न्यू मार्केट की पिंक पार्किंग में केवल महिलाओं के वाहन होंगे पार्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः महिला वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग में विकसित पिंक पार्किंग में अब केवल महिलाओं के वाहन ही पार्क किए जाएंगे। महापौर श्रीमती मालती राय ने गुरुवार को पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर निगम अधिकारियों को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महापौर ने मल्टीलेवल पार्किंग के विभिन्न तलों का जायजा लिया और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य तलों पर भी वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा कराया जाए। साथ ही पार्किंग स्थल के महिला और पुरुष शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, सीवेज चेंबर और नालियों की सफाई सुनिश्चित करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने पार्किंग के सामने रोटरी और पाथवे को व्यवस्थित करने, घास की कटाई कराने तथा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग के आसपास स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। न्यू मार्केट के व्यापारियों ने पार्किंग के बाहर पाथवे और सड़क किनारे वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से होने वाली परेशानी की जानकारी दी। इस पर महापौर ने पाथवे को व्यवस्थित कराने और वहां वाहन पार्क नहीं होने देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे।

गुरु पूर्णिमा पर सिंधी महिला पंचायत ने गुरुजनों के घर जाकर किया सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सिंधी महिला पंचायत द्वारा गुरु पूर्णिमा पर गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पंचायत पदाधिकारियों ने गुरुओं के निवास एवं कार्यस्थलों पर जाकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, धर्म गुरु एवं अध्यात्म गुरु का सम्मान किया गया। प्रेम प्रकाश से जुड़ी हीरा दादी आश्रम संचालिका, निर्मला ममतानी शिक्षा गुरु तथा सरला नागदेव मंदिर संचालिका का भी पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं दक्षिणा देकर सम्मान किया गया। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही संकट के समय अपने शिष्यों के कष्टों को स्वयं सहन कर उनका मार्गदर्शन करते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। पंचायत अध्यक्ष किरण वाधवानी, महासचिव मधु लालवानी एवं नैना वाधवानी ने सभी गुरुओं का सम्मान किया।

क्रेडिट कार्ड से 1.38 लाख रुपए की साइबर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कजलिखेड़ा थाना पुलिस ने धारा 316, 318(4), 319(2), 308 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। फरियादी सुनील सोनार (29 वर्ष) की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ क्रेडिट कार्ड से 1,38,308 रुपये निकालने का प्रकरण कायम किया गया है।

जेपी अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत

कमला नगर थाना पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया है। जेपी अस्पताल के डॉ. पटेरिया की सूचना पर सुनील जाटव (40) पिता नारायण को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है।

भोपाल टॉकीज के पास मिली अज्ञात महिला की मौतः हनुमानगंज थाना पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया है। हमीदिया अस्पताल के डॉ. दुबे की सूचना पर करीब 50 वर्षीय अज्ञात महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई।

महिला को भोपाल टॉकीज के पास बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

डी-मार्ट के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत

कजलिखेड़ा थाना पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया है। जेपी अस्पताल की डॉ. सोनाली की सूचना पर शोभालाल पिता गमदू अहिरवार (59) को सड़क दुर्घटना के बाद मृत पाया गया। घटना डी-मार्ट के पास गेहूंखेड़ा क्षेत्र की है। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

युवक के लापता होने पर गुमशुदगी दर्ज : टीला जमालपुरा थाना पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज किया है। कुर्बान अली की शिकायत पर उनके 21 वर्षीय पुत्र इमरान अली के बिना बताए घर से कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है और परिजनों से जानकारी जुटा रही है।

सड़क दुर्घटना की जांच में युवक की मौत की पुष्टि

गांधीनगर थाना पुलिस ने धारा 106(1), 281, 125-ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। होली फैमिली स्कूल के पास हुई दुर्घटना की जांच के दौरान पप्पू उर्फ सुनील धुवे (35) की मौत होना पाया गया। प्रकरण में एमपी-04 यूएन-1312 वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

कार्यालय भू अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

दिनांक 06/07/2026

सार्वजनिक सूचना

प्रकरण कमांक 05/अ-82/2026-27 चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनकेसामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नबम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबधित विभाग / उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची :-भूमि का वर्णन

स.	भूमि स्वामी का नाम जाति एवं पता	ग्राम का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टे में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तम, भगवत, कुँअर सिंह पुत्र निर्भय सिंह श्याम दलारी पुत्री निर्भय सिंह, पूना बाई बेवा निर्भय सिंह, जाति यादव, पता बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी	अनघोरी	41/1(S) 60 (S) में से किता 03	2.428 2.120 10.521 6.069	0.258 0.120 0.147 0.525	कार्यपालन यंत्री जल संसाधान विभाग रायसेन	टेकापार खुर्द लघु सिंचाई परियोजना
2	राजकुमार पुत्र चरणसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज,		39/1(S) किता 01	1.214 1.214	0.150 0.150		
3	रन्धीरसिंह पुत्र भगवानसिंह पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन,		46/1(S) किता 01	1.214 1.214	0.032 0.032		
4	निदानसिंह पुत्र चरणसिंह पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन,		46/2/2 (S) किता 01	2.023 2.023	0.210 0.210		
5	5 हेमराज पुत्र हम्मीरसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		46/2/3 (S), 42,43,44, किता 01	0.494 0.494	0.120 0.120		
6	6 रामपाल पुत्र मेहरबानसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		48/1 (S), 53/1 (S), किता 02	1.121 0.133 1.254	0.116 0.007 0.123		
7	पुष्पेन्द्र पुत्र मेहरबानसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		48/2 (S), 53/2 (S), किता 02	1.121 0.132 1.253	0.116 0.007 0.1123		
8	राजदीप पुत्र मेहरबानसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		48/3 (S), 53/3 (S), किता 02	1.121 0.132 1.253	0.116 0.008 0.124		
9	जगतसिंह पुत्र रामचरन जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज,		54/1(S), किता 01	1.445 1.445	0.174 0.174		
10	साहबसिंह पुत्र रामचरन जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज,		54/2 (S), किता 01	1.445 1.445	0.032 0.032		
11	कुंवरसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		73/36 (S) 61 (S) में से 63 (S) में से किता 03	0.754 0.344 1.271 2.369	0.120 0.048 0.066 0.234		
12	प्रहलाद पुत्र तुलसीराम जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		36/1/1/1/1 (S) किता 01	0.235 0.235	0.075 0.075		
13	भगवतसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		35/2/3 (S) किता 01	2.136 2.136	0.180 0.180		
14	प्रभूसिंह पुत्र दरयाबसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		27/2 (S) किता 01	0.622 0.622	0.096 0.096		
15	बैनीबाई पत्नी वीरसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		20/2/1(S) किता 01	1.214 1.214	0.103 0.103		
16	बैनीबाई पत्नी वीरसिंह एवं कौशिल्या बेवा महेश देव ना बा देवांश ना बा देविका ना बा पुत्र पुत्री महेश जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		20/2/2(S) किता 01	4.047 4.047	0.032 0.032		
17	सुमत कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति जैन पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन,म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		20/1(S) किता 01	0.809 0.809	0.222 0.222		
18	शिवराजसिंह पुत्र गंगाराम जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		78/17(S) किता 01	1.623 1.623	0.138 0.138		
19	रामेश्वर पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधी पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन्, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		17/3/1(S) किता 01	4.570 4.570	0.150 0.150		
20	उत्तमसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति यादव पता टेकापार खुर्द, बेगमगंज, रायसेन, म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी		59/2/1(S) किता 01	1.734 1.734	0.076 0.076		

जी-16473/26

सक्षम प्राधिकारी (भू अर्जन) अनुविभाग बेगमगंज जिला रायसेन

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
मैक ट्रिब्यूनल, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमएसीसी/1590/2022

भान सिंह बनाम ईश्वर नायक

NEXT DATE :03-09-2026

प्रेषिती, ईश्वर नायक भागीरथ पता- ग्राम बराई पो. मिसरोद जिला भोपाल म.प्र. यह कि प्रार्थी भान सिंह ने आपके विरूद्ध एमएसीसी/1590/2022 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 23.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें :-**यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

हिमांशु कौशल, न्यायाधीश
मैक ट्रिब्यूनल भोपाल

1133

जाहिर सूचना

(मूल रजिस्ट्री गुम होने के संबंध में)

(दो किता भूखण्ड क्र. 92 एवं 93, जो खसरा नंबर 49, 50/2 के भाग पर नारियल खेड़ा (निशातपुरा) नगर निगम सीमा के वार्ड क्रमांक 11, जनपद पंचायत फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरी पक्षकार सस्थां पी.एन.बी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा श्री संतोष जैन आत्मज श्री दुलीचंद जैन, आयु वयस्क, निवासी भोपाल (म.प्र.) को एक किता भूखण्ड क्र. 92 पर निर्मित तीन-मंजिला मकान, जो कि खसरा नंबर 49, 50/2 के भाग पर नारियल खेड़ा (निशातपुरा), वार्ड क्रमांक 11, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 20X 50 = 1000 वर्गफिट है। जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्नानुसार है, पूर्व में श्रीमती सुनीता बाँधेवाल, पश्चिम में- विक्रेती का शेष भाग, उत्तर में गली, 162, दक्षिण में रोड है, जिसका विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 22.5.2000, पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ क्रमांक 15748, दस्तावेज क्रमांक 387 (क), जो कि उपपंजीयक कार्यालय भोपाल में श्री राजेश कुमार बाँधेवाल आत्मज स्व. श्री दयाराम बाँधेवाल के नाम से पंजीबद्ध है, एवं एक किता भूखण्ड क्र 93 पर निर्मित तीन-मंजिला मकान, जो कि खसरा नंबर 49,50/2 के भाग पर नारियल खेड़ा (निशातपुरा), वार्ड क्रमांक 11, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 20X50 1000 वर्गफिट है। जिसकी चतुर्थ सीमायें निम्नानुसार है, पूर्व में-श्री डोंगरसिंह की सम्पत्ति, पश्चिम में रोड, उत्तर में विक्रेती की सम्पत्ति, दक्षिण में विक्रेती की सम्पत्ति है, जिसका विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 21-01-1994, पुस्तक क्रमांक अ-1, ग्रंथ क्रमांक 9168, दस्तावेज क्रमांक 347, जो कि उपपंजीयक कार्यालय भोपाल में श्रीमती सुनीता बाँधवाल पत्नी श्री राजेश कुमार बाँधेवाल के नाम से पंजीबद्ध है, उक्त दोनों सम्पति पर ऋण स्वीकृत किया गया है। यह की विक्रय पत्र मूल प्रति दाता कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, भोपाल क्षेत्र में कही गुम हो गई है। जिसकी सूचना दिनाँक 18/06/2026 को कोहेफिजा थाना में दे दी गई। यदि उक्त सम्पत्ति पर किसी बैंक वित्तीय संस्थान, व्यक्ति संस्था, शासकीय अशासकीय, विभाग नजूल, नगर-निगम, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल, आदि का कोई लेना-देना हो या उक्त सम्पत्ति किसी के पक्ष में बंधक, दान, गिरवी, अनुबंधित हो या अन्य किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना प्रकाशन से 07 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति मय दस्तावेज मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। ऊपरवर्णित समयावधि में कोई आपत्ति न आने पर मेरी पक्षकार वित्तीय संस्था पीएनबी हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड भोपाल यह मानते हुए कि उक्त दस्तावेजों के गुम होने पर किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, उक्त सम्पत्ति पर श्री संतोष जैन आत्मज श्री दुलीचंद जैन को ऋण प्रदान कर देगी तथा भविष्य में मेरी पक्षकार वित्तीय संस्था पीएनबी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड भोपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भवदीय राजेन्द्र सिंह राजपूत,अधिवक्ता
कार्यालय : 308, बीडीए कॉम्पलेक्स, 7 नं. स्टॉप, शिवाजी नगर भोपाल मो. 9039246080
फोन : 0755-4922691

1128

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
मैक ट्रिब्यूनल, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमएसीसी/3339/2024

जुगल किशोर मारन बनाम कार्तिक राजपूत

NEXT DATE :15-09-2026

प्रेषिती, गिरीश मतलानी स्व. किसन लाल मतलानी पता- मकान नंबर बी 1303 कोरल बुडस नियर मौसेक होटल द मार्क होटल के सामने नर्मदापुरम रोड मिसरोद जिला भोपाल यह कि प्रार्थी जुगल किशोर मारन ने आपके विरूद्ध एमएसीसी/3339/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 8.7.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें :-**यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

मयंक कुमार शुक्ला, न्यायाधीश
मैक ट्रिब्यूनल भोपाल

1132

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री पुरुषोत्तम सिंह रमोले आत्मज श्री वी.के. रमोले निवासी-6,सौम्या स्टेट. बी.डी.ए.मार्ग अवधपुरी, हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा श्री कमलेश जैन आत्मज स्व. श्री लक्ष्मीचंद्र जैन निवासी-62, अशोक विहार कॉलोनी, शिवविद्यालय के पास, अशोका गार्डन, हुजूर भोपाल म.प्र. से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. - 125/3/1/6 (एस) रकबा 0.0400 हे. भूमि में से 3332 वर्गफिट भूमि ग्राम स्थित सिलवानी, प.ह.नं.-.तहसील सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. का विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 28/06/2025 को निष्पादित कराया गया है उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार श्री कमलेश जैन द्वारा उक्त अनुबंधित भूमि का सीमांकन कराने में आना-कानी व लेट-लतीफी के कारण मेरा पक्षकार उक्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कमलेश जैन उनके उत्तराधिकारी एवं वारिसों से उपरोक्त अनुबंधित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन एवं दस्तावेजों का निष्पादन न करावे, यदि उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति एवं शासकीय, अशासकीय वित्तीय संस्था द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई लेन-देन एवं दस्तावेज निष्पादित कराया जाता है तो वह गैर कानूनी माना जायेगा और उसकी समस्त हर्ज-खर्च की जबावदारी उसकी स्वयं की होगी।

PURSHOTTAM YADAV, ADVOCATE
OFF/ Res. | 7Street No1
Near Shivmandir
Ghodanikkash Bhopal
Mo.No.9981583426

1131

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि श्री प्रवीण कुमार चौरे आ. श्री लखन लाल चौरे, आयु-वयस्क निवासी-एल.एफ. 125, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल म.प्र. के स्वत्व, स्वात्वि एवं आधिपत्य का भू-खण्ड कमांक-81 जो खसरा क्रमांक-171/1/17 का अंश भाग होकर ग्राम-विसन खेड़ी, नगर निगम सीमा के अंदर, प.ह.नं.-93, रा.नि.म.-04, विकास खण्ड फंदा, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल म.प्र. में स्थित है जिसकी चतुर्थ सीमाएँ-पूर्व में भूखण्ड कमांक-67, पश्चिम मे रोड, उत्तर में भूखण्ड कं.-82, दक्षिण में भूखण्ड कमांक 80 है। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट अर्थात 119.42 वर्गमीटर है। जिसके क्रय हेतु मेरी पक्षकार ने विक्रेता को अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया है। यदि उक्त वर्णित भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, संबंधी वाद विवाद किसी शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, विभाग, बैंक, संस्था, व्यक्ति वित्तीय संस्थान के पास बंधक हो और अन्य किसी प्रकार से अनुबंध, भार, बंधक, दान, स्त्रीधन वारिसाना या उत्तराधिकार या कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में सप्रमाण उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि उपरांत मेरी पक्षकार उक्त वर्णित भूखण्ड का अपने पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगी एवं समयावधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई अपात्ति मेरी पक्षकार पर बंधनकारी नही होगी।

भवदीय विजेन्द्र सिंह यादव, एडवोकेट
कार्यालय-93 हर्ष वर्धन शॉपिंग सेन्टर, अवन्ती बाई चौराहा, माता मंदिर भोपाल
म.प्र. पिन-462003 मो-9425675448

1130

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील कोलार भोपाल

सूचना पत्र

प्रति, (1) श्रीमती कालिन्दी मिश्रा विधवा सुरेश मिश्रा दीपक कुमार मनोज कुमार नीता मिश्रा अंजली मिश्रा आ. सुरेश मिश्रा नि. भोपाल (2) एवं गोविंद कुमार नन्द कुमार मिश्रा पुत्रगण गोपीलाल मिश्रा (3) शासकीय म.प्र. शासन आवास एवं पर्यारण विभाग समस्त हितबद्ध पक्षकार व सर्वसाधारण भूमिस्वामीगण **विषय :-** नक्शे में बटान किए जाने बाबत्। उपर्युक्त विषयांतर्गत संबंध में न्यायालय तहसीलदार/वृत्त नजूल राजधानी भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/अ-3/2026-27 भोपाल दिनांक के अनुसार मुझे आवेदक आलोक शर्मा पिता कृष्णदयाल शर्मा निवासी बी-11 मणिपुरम चार इमली भोपाल की भूमि खसरा नंबर 97/2/2/1, 97/2/2/2, 97/2/2/3, 97/2/2/4 रकबा 0.0280, 0.0240, 0.0160, 0.0160 स्थित ग्राम शाहपुरा रा.नि.वृत्त तहसील कोलार जिला भोपाल का नक्शे में बटान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किऐ गए हैं अतः उक्त आदेश के पालन में मेरे द्वारा दिनांक 24/07/26 को समय 12.00 बजे से नक्शे में बटान हेतु भूमि का नाप एवं स्थल निरीक्षण किया जाना निश्चित किया गया है। आपको पड़ोसी कृषक होने के कारण सूचित किया जाता है कि आप भी नक्शे में बटान हेतु भूमि के नाम एवं स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित रहकर अपना पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति की दशा में नक्शे में बटान की कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी।

राजस्व निरीक्षक
कोलार तहसील, भोपाल

1129